O/o E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. 3909
Date 03 DEC 2020
AGM (IT)
SE/OY/SE Web
EE
Section

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर में अपीलीय अधिकारी
श्री एच.के.पाण्डेय, कार्यपालक निदेशक (मा.सं.)

अपील प्रकरण क्रमांक 30/2020 दिनांक 10.11.2020

श्रीमती शोभना सिंह
भिलाई — आवेदिका

विरूद्ध

श्री के.एस.भारती — प्रतिअपीलार्थी
जनसूचना अधिकारी
होल्डिंग कंपनी, रायपुर

—:: आदेश ::—

(दिनांक ....27/11/2020.... को पारित)

आवेदिका श्रीमती शोभना सिंह, भिलाई की ओर से प्रकरण पर जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)—दो होल्डिंग कंपनी रायपुर के द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी से असंतुष्ट होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत की गई है। जिसे अपील पंजीयन क्रमांक 30/2020 दिनांक 10.11.2020 के द्वारा पंजीबद्ध किया गया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदिका द्वारा आवेदन दिनांक 15.06.2020 के माध्यम से आदेश क्रमांक 01—02/AS/PD-VIII/AE (T&D) 47 दिनांक 18.06.2010 से संबंधित समस्त दस्तावेज जैसे नोटशीट एवं अन्य पत्राचार की प्रति चाही गई है।

(3) अपील प्रकरण की सुनवाई दिनांक 26.11.2020 को निर्धारित की गई। निर्धारित तिथि को आवेदिका एवं जनसूचना अधिकारी तथा संबंधित प्रभाग के (DPIO) उपस्थित हुए। अतः प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।

(4) प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी का पक्ष कि कंडिका 02/—टीप के संबंध मे पत्र क्रमांक 1711 दिनांक 13.07.2020 के माध्यम से आवेदिका को अवगत कराया गया है कि चाही गई जानकारी जो कि लगभग 10 वर्ष पुरानी है, जिसे कार्यालयीन दस्तावेजों में तलाश की जा रही है। वर्तमान में उक्त दस्तावेज प्राप्त नही हुआ है, वस्तुतः प्रकरण में अतिरिक्त समय लगने की संभावना है। उक्त जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होते ही आपको नियमानुसार उपलब्ध करा दी जावेगी।

आवेदिका द्वारा जो जानकारी चाही गई है वह लगभग 10 वर्ष पुरानी अभिलेख है। जिसे कार्यालयीन अभिलेखों/दस्तावेजों में खोजबीन किया गया है। परन्तु खेद का विषय है कि उक्त दस्तावेज प्राप्त नही हो सका है। अतः यथास्थिति कारणवश आवेदिका को दस्तावेज उपलब्ध नही करायी जा सकी है। अधिनियम के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी वही जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध करा सकता है जो कि उसके पहुँच के अंदर है।

(5) (i) निर्धारित तिथि को संबंधित अभिलेखों/दस्तावेजों का अवलोकन कर, आवेदिका एवं जन सूचना अधिकारी तथा संबंधित प्रभाग के (DPIO) के तर्क श्रवण किये गये।

(ii) आवेदिका का तर्क कि लगभग 04 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी जनसूचना अधिकारी द्वारा उन्हे वांछित जानकारी उपलब्ध नही करायी गई है, जो अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है।

कार्यालयीन अभिलेखों में चाही गई जानकारी/दस्तावेज का पुनः खोजबीन कर आवेदिका को दस्तावेज उपलब्ध कराये तथा दस्तावेज प्राप्त नही होने पर वस्तुस्थिति से अवगत करायी जावे।

(6) इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि कंडिका 04/—टीप में जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदिका को जानकारी उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से जो कार्यवाही किया गया है वह स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जनसूचना अधिकारी एवं संबंधित प्रभाग के (DPIO) के द्वारा जानबूझकर विलंब नही किया गया है। उनके द्वारा आवेदिका को दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से कार्यालयीन अभिलेखों/दस्तावेजों में खोजबीन कर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया। किन्तु उक्त दस्तावेज प्राप्त न होने के कारण वे आवेदिका को जानकारी/दस्तावेज देने में असमर्थ रहे।

जैसा कि अपील पर निर्णय करना एक अर्धन्यायिक कार्य है। अतएव यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि न्याय केवल हो ही नही, बल्कि वह होते हुए भी दिखाई दे।

जहाँ तक अपील का प्रश्न है जनसूचना अधिकारी एवं संबंधित प्रभाग के (DPIO) को निर्देशित किया जाता है कि वे संबंधित अभिलेखों/दस्तावेजों में कंडिका 02/—टीप की जानकारी का पुनः खोजबीन कर, अपील आदेश जारी होने के 30 दिवस के भीतर आवेदिका को वांछित जानकारी/दस्तावेज के वस्तुस्थिति से अवगत कराये।

उपरोक्त के दृष्टिगत दाखिल प्रथम अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक 30/2020 दिनांक 10.11.2020) एतद् द्वारा नस्तीबद्ध किया जाता है।

Hairo G. 27/11/2020

(एच.के.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष क्रमांक —0771—2574700

क्रमांक :— 01—02/अपील प्रकरण —30/2020/77 रायपुर, दिनांक 27/11/2020

प्रतिलिपि :—

(1) जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)—दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(2) **प्रबंधक (मा0सं0)—आठ, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

(3) श्रीमती शोभना सिंह, सड़क नबरं— 40, मकान नबंर—6/बी, सेक्टर—10, भिलाई, जिला— दुर्ग (छ.ग.) पिन— 490006 को सूचनार्थ प्रेषित।

(4) मुख्य अभियंता (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर —उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध आवेदिका चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :— सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
अटल नगर, जिला— रायपुर (छ.ग.)
पिन — 492002